हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर जो सुना है। अब इस प्रार्थना-पत्र का कोई औचित्य नहीं। अतः प्रार्थना-पत्र 212 RTA के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फुटकर शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।